प्रेस वज्ञप्ति

जनपद भदोही

दिनांक -30 जुलाई 2026

√भदोही पु लस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा एनडीपीएस एक्ट के तीन दो षयों को 10-10 वर्ष का कारावास एवं प्रत्येक को ₹10,0000/- (एक लाख रुपये) के अर्थदण्ड से कया गया दं डत

√जनपद पु लस अपरा धयों को सजा दिलाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लए लगातार प्रतिबद्ध

घटना का सं क्षप्त ववरण:-

दिनांक 24.07.2013 को सुबह लगभग 07:30 बजे ऊंज पु लस टीम को गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना मली क एक ट्रक अवैध गांजा लेकर बनारस की ओर से आ रहा है। पु लस टीम द्वारा वहिदा मोड़ पर घेराबंदी की गई। मुखबिर के इशारे पर ट्रक को रोकने का प्रयास कया गया, तो चालक वाहन को छोड़कर भाग गया और ट्रक में बैठे तीन अन्य लोगों को गरफ्तार कर लया गया। ट्रक के अंदर और पीछे सीमेंट की ईंटें लदी हुई थीं। ईंटों के नीचे छिपाकर रखी गई 4 प्लास्टिक की बोरियां में भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ 01 क्विंटल 10 कलोग्राम (कम शयल क्वांटिटी) बरामद कर मु०अ०सं० 35/13 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना ऊंज जनपद भदोही का अ भयोग पंजीकृत कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रे षत कया गया था।

सजा का ववरण:-

भदोही पु लस नशा तस्करों और अवैध मादक पदार्थों के कारोबार में सं लप्त अपरा धयों के खलाफ अपनी 'जीरो टॉलरेंस' नीति के तहत कार्यवाही के क्रम में श्रीमान् पु लस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम में एवं *श्री अ भनव त्यागी,* पु लस अधीक्षक भदोही के कुशल निर्देशन में *ऑपरेशन कन्विक्शन* के तहत जनपद में अपरा धयों के वरुद्ध चलाए जा रहे अ भयान और न्यायालयों में लंबित मुकदमों में *श्री शुभम अग्रवाल,* अपर पु लस अधीक्षक भदोही के पर्यवेक्षण में थाना ऊंज पु लस , मानिटरिंग सेल एवं एडीजीसी श्री माया मोहन पाण्डेय द्वारा मामले की सटीक पैरवी और न्यायालय में ठोस साक्ष्य एवं गवाह पेश कए जाने के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा मु०अ०सं०- 35/13 से संब धत अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के गंभीर मामले में त्वरित सुनवाई करते हुए तीन अ भयुक्तों को दोषी पाकर कड़ी सजा सुनाई है। श्री लोकेश कुमार मश्र (एच० जे०एस०) अपर जिला एवं सत्र

न्यायाधीश,त्वरित न्यायालय द् वतीय, भदोही-ज्ञानपुर द्वारा तीनों दो षयों को एनडीपीएस (NDPS) एक्ट की धारा 8/20(b)(ii)(c) के तहत 10-10 वर्ष के कारावास और ₹1,00,000/- (एक लाख रुपये) के अर्थदंड से दं डत कया है।

दो षयों का ववरण-

1.जितेंद्र साव पुत्र मुंशी साव 2.मनीष कुमार पुत्र जितेंद्र साव 3.सुनील कुमार पुत्र जितेंद्र साव समस्त निवासीगण ग्राम - धनुआ, थाना - चौपारण, जिला - हजारीबाग, झारखण्ड)

अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त सजा:-

माननीय न्यायालय के आदेशानुसार, यदि दोषी तय की गई अर्थदंड की रा श (₹1,00,000) जमा करने में वफल रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्हें 06 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।